जेस्ट्री सं. जी-3/डी एल (एन)-04/0009/2003--05

भारत सरकार

REGD. No. G-3/DL (N)-04/0009/2003-05

GOVERNMENT OF INDIA



प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 1] No. 1] दिल्ली, जनवरी 1—जनवरी 7, 2010, बृहस्पतिवार पौष 11-पौष 17, 1931 DELHI, JANUARY 1—JANUARY 7, 2010, THURSDAY/PAUSA 11—PAUSA 17, 1931

[रा.स.स.क्षेदि. सं. 273, 275, 277] [N.C.T.D. Nos. 273, 275, 277]

भाग —IV PART –IV

भाग-। में सिम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than Notifications included in Part-I

> राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (सामान्य) विभाग अधिसूचनाएं दिल्ली, 4 जनवरी, 2010

सं. फा. 4/4/2003/गृह (सामान्य)/28.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना सं. यू. 11011/2/74-यू.टी.एल. के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री जेड.यू. सिहिकी, दानिक्स अधिकारी, उपायुक्त (उत्तरी जिला) को दिल्ली महानगर क्षेत्र में जब तक कि वह अपने वर्तमान पद पर या उसी कार्यालय में समतुल्य पद पर बने रहते हैं, या अगले आदेशों तक इसमें, जो भी पहले हो, कार्यकारी मिजस्ट्रेट के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सं. फा. 4/4/2003/गृह (सामान्य)/28—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना सं. यू. 11011/2/74-यू.टी.एल. के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री जेड.यू सिद्दिकी, दानिक्स अधिकारी, उपायुक्त (उत्तरी जिला) को जो वर्तमान में कार्यकारी मिजस्ट्रेट के रूप में नियुक्त हैं को दिल्ली महानगर क्षेत्र में जब तक कि वह अपने वर्तमान पद पर बने रहते हैं, या अगले आदेशों तक इसमें, जो भी पहले हो, अतिरिक्त जिला मिजस्ट्रेट के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

HOME (GENERAL) DEPARTMENT NOTIFICATIONS

Delhi, the 4th January, 2010

No. F. 4/4/2003-HOME(G)/28.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. U-11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint, Shri Z. U. Siddiqui, DANICS Officer, presently working as Deputy Commissioner, North

3.2/cah 08(A) 23/02/10 Dellos

8 2/3

सं फा. 10 (954)/मु स. (मुख्या)/स. शु/08/9492, - गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ.148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ग्लोबस स्प्रीटस लि., सी-631, न्यू फ्रेन्डस कालोनी, नई दिल्ली-110065 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 75,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,22,57,742 से 1,97,57,741 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 7,50,000 (रुपये सात लाख पचास हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से, विनय कुमार, संयुक्त सचिव (राजस्व) No. F. 10(954)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9492.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Globus Spirits Limited, C-631, New Friends Colony, New Delhi-Il0065 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 7,50,000 (Rs. Seven Lac Fifty Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 75,00,00,000 for equity shares certificate with Distinctive Nos. 1,22,57,742 to 1,97,57,741 to be issued by the said company.

By Order
of Chief Controlling Revenue Authority
Government of National Capital Territory of Delhi,
VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Revenue)

District, Delhi to be an Executive Magistrate in the National Capital Territory of Delhi, till such time he holds the present post or till further orders, whichever is earlier.

No. F. 4/4/2003-HOME(G)/28.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. U-11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint, Shri Z. U. Siddiqui, DANICS Officer, an Executive Magistrate to be an Additional District Magistrate, till such time he holds the present post or till further orders, whichever is earlier.

सं. फा. 4/2/2003/गृह (सामान्य)/18.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना सं. यू. 11011/2/74-यू.टी.एल. के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री प्रवेश रंजन झा, दानिक्स अधिकारी, उपखंड अधिकारी (पंजाबी बाग) को दिल्ली महानगर क्षेत्र में जब तक कि वह अपने वर्तमान पद पर या उसी कार्यालय में समतुल्य पद पर बने रहते हैं, या अगले आदेशों तक इसमें, जो भी पहले हो, कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश तथा उनके नाम पर,

बी. एम. जैन, उप संचिव

No. F. 4/2/2003-HOME(G)/18.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. U-11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint, Shri Pravesh Ranjan Jha, DANICS Officer, presently working as SDM (Punjabi Bagh) to be an Executive Magistrate in the National Capital Territory of Delhi, till such time he holds the present post or till further orders, whichever is earlier.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

B. M. JAIN, Dy. Secy.

सहकारिता विभाग

सहकारी समितियों के पंजीयक का कार्यालय

अधिसूचना

दिल्ली, 5 जनवरी, 2010

सं. फा. 47/122/उत्तर पश्चिम/गृह आवास/12.— दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम की धारा 127, (दिल्ली अधिनियम 3, 2004) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दक्षिणी दिल्ली सहकारी गृह आवास (सिमिति 122/सं. आ.) की धारा 37 (1)(ख) दिल्ली सहकारी सिमितियाँ अधिनियम, 2003 (दिल्ली अधिनियम 3, 2004) के प्रावधानों से उन्मुक्त करते हैं, तथा उक्त सिमिति की अतिक्रमण की अवधि व प्रशासक के कार्यकाल की अवधि दिनांक 21-5-2010 तक बढ़ाई जाती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश तथा उनके माम पर,

वी. एस. रावत, संयुक्त पंजीयक (सहकारिता)

DEPARTMENT OF COOPERATIVE

OFFICE OF THE REGISTRAR COOPERATIVE SOCIETIES

NOTIFICATION

Delhi, the 5th January, 2010

No. F. 47/122/GH/NW/12.—In exercise of the powers conferred by Section 127 of Delhi Cooperative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby exempts the Dakshini Delhi Cooperative Group Housing Society (122/GH) from the provisions of Sections 37(1)(b) of Delhi Cooperative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004) and accordingly extend the period of supercession of the Managing Committee and the term of Administrator of the said Society up to 21-5-2010.

By Order and in the name of The Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

V. S. RAWAT, Jt. Registrar (Cooperation)

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

आदेश

दिल्ली, 5 जनवरी, 2010

सं. फा. 10 (962)/मु. स. (मुख्या)/स. शू./08/9442.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एसबीआई कार्डस एण्ड पेमैन्ट सर्विसेज प्रा. लि., एसबीआई लोकल हेड ऑफिस, 11, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 50,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 61,00,00,003 से 66,00,00,002 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 5,00,000 (रुपये पांच लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE AUTHORITY

ORDERS

Delhi, the 5th January, 2010

No. F. 10(962)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9442.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. SBI Cards & Payment Services Pvt. Ltd., SBI, Local Head Office, 11 Parliament Street, New Delhi-Il0001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 5,00,000 (Rs. Five Lac) only on the aggregate value of shares of Rs. 50,00,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 61,00,00,003 to 66,00,00,002 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (959)/मु. स. (मुख्या)/स. शु./08/9448.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री असीम ग्लोबल लि., 5476, बस्ती हरफूल सिंह, सदर थाना रोड, सदर बाजार, दिल्ली–110006 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,65,37,870 मूल्य के इक्वियटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 14,70,001 से 31,23,787 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 16,538 (रुपये सोलह हजार पांच सौ अड़तीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(959)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9448.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Aseem Global Limited, 5476, Basti Harphool Singh, Sadar Thana Road, Sadar Bazar, Delhi-110006 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 16,538 (Rs. Sixteen Thousand Five Hundred Thirty. Eight) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,65,37,870 for equity shares certificates with distinctive Nos. 14,70,001 to 31,23,787 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (944)/मु, स. (मुख्या)/स. शु,/08/9449.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री कुरारे इंडिया प्रा. लि., यूनिट नं. 207बी, दूसरी मंजिल, रेक्टेगंल-1, डी-4, डिस्ट्रीक सेन्टर, साकंत, नई दिल्ली-110017 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,19,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 60,10,001 से 72,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 11,900 (रुपये ग्यारह हजार नौ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्तं कम्पनी करेगी।

No. F. 10(944)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9449.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Kuraray India Private Limited, Unit No. 207 B, 2nd Floor, Rectangle-I, D-4, District Centre, Saket, New Delhi-110017 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 11,900 (Rs. Eleven Thousand Nine Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,19,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 60,10,001 to 72,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (943)/मु.स.(मुख्या)/स. शु/08/9450-गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री दैनिची कलर्स इंडिया प्रा. लि., पांचवी मंजिल, लोटस टावर्स, कम्युनिटी सेन्टर, न्यू फ्रेन्ड्स कालोनी, नई दिल्ली-110065, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 9,58,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयर जिनकी पृथक संख्या 25,90,001 से 35,48,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 95,800 (रुपये पिचानवे हजार आठ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(943)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9450.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Dainichi Color India Private Limited, 5th Floor, Lotus Towers, Community Centre, New Friends Colony, New Delhi-110065, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 95,800 (Rs. Ninety Five Thousand Eight Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 9,58,00,000 for equity shares certificate with Distinctive Nos. 25,90,001 to 35,48,000 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (956)/मु.स. (मुख्या)/स. शु./08/9454.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री प्रकौसली इन्वेस्टमेन्ट्स (इंडिया) प्रा. लि., सी-41, मेफेयर गार्डन, नई दिल्ली-110016 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 88,00,00,0000 मूल्य के सेक्योर्ड, अनरेटिड अनिलस्टीड नन कनवर्टीबल रिडिमेबल डिबेन्चर (सीरीज-2) जिनकी पृथक संख्या 001 से 880 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 8,80,000 (रुपये आठ लाख अस्सी हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(956)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9454.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Prakausali Investments (India) Private Limited, C-41, Mayfair Gardens, New Delhi-110016, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 8,80,000 (Rs. Eight Lac Eighty Thousand) only on the aggregate value of debentures of Rs. 88,00,00,000 for issue of Secured unrated unlisted non Convertible redeemable series-II debentures bearing distinctive No. 001 to 880 to be issued by the said company.

दिल्ली, 6 जनवरी, 2010

सं. फा. 10 (970)/मु. स. (मुख्या)/स. शु/08/9461-गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 उपधारा की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री फलीकर प्रोजेक्टस प्रा. लि., 232-बी, तीसरी मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट, फेस-III, नई दिल्ली-110020, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 15,20,00,000 मूल्य के इिक्टिटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2,47,78,701 से 2,87,78,700 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 1,52,000 (रुपये एक लाख बावन हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 6th January, 2010

No. F. 10(970)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9461.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Flicker Projects Private Limited, 232-B, 3rd floor, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi-110020, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,52,000 (Rs. One Lac Fifty

Two Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 15,20,00,000 for equity Share certicates with distinctive Nos. 2,47,78,701 to 2,87,78,700 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (955)/मु. स. (मुख्या)/स. शू./08/9462.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री प्रकौसली इन्वेस्टमेन्ट्स (इंडिया) प्रा. लि., सी-41, मेफेयर गार्डन, नई दिल्ली-110016 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 90,00,00,000 मूल्य के सेक्योर्ड, अनरेटिड अनिलस्टीड नन कनवर्टीबल रिडिमेबल डिबेन्चर (सीरीज-III) जिनकी पृथक संख्या 001 से 900 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 9,00,000 (रुपये नौ लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(955)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9462.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Prakausali Investments (India) Private Limited, C-41, Mayfair Gardens, New Delhi-110016, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 9,00,000 (Rs. Nine Lac) only on the aggregate value of debentures of Rs. 90,00,00,000 for issue of Secured unrated unlisted non Convertible redeemable series-III debentures bearing distinctive Nos. 001 to 900 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (980)/मु. स. (मुख्या)/स. शु/08/9464.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की असूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री कानपुर-उन्नाव लेदर कलस्टर डवलपमेंट कंम्पनी लि., कोर 4बी, चौथी मंजिल, इंडिया हेबीटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 30,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 4,00,001 से 7,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 3000/-(रुपये तीन हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(980)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9464.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-Section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling

Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Kanpur-Unnao Leather Cluster Development Company Limited, Core 4B, 4th Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 3000/- (Rs. Three Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 30,00,000 for equity Share certicates with distinctive Nos. 4,00,001 to 7,00,000 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (963)/मु, स. (मुख्या)/स. शु/08/9465-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ.148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री कोबोल टेक्नोलोजिज प्रा. लि., एन-23-बी, ब्लॉक-एन, डीडीए फ्लेट, साकेत, नई दिल्ली-110017, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 2,30,39,000 मूल्य के फुल्ली कनवर्टीबल डिबेन्चर जिनकी पृथक संख्या 16,52,526 से 16,75,564 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 57,598 (रुपये सतावन हजार पांच सौ अठानबे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(963)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9465.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Cobol Technologies Private Limited, N-23-B, Block-N, DDA Flats, Saket, New Delhi-110017, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 57,598 (Rs. Fifty Seven Thousand Five Hundred Ninety Eight) only on the aggregate value of debentures of Rs. 2,30,39,000 for issue of fully Convertible debentures bearing distinctive No. 16,52,526 to 16,75,564 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (929)/मु. स. (मुख्या)/स. शु./08/9467.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री प्रकौसली इन्वेस्टमेन्टस (इंडिया) प्रा. लि., सी-41, मेफेयर गार्डन, नई दिल्ली-110016 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 40,00,00,000 मूल्य के सेक्योर्ड, अनरेटिड अनलिस्टीड नन कनवर्टीबल रिडिमेबल डिबेन्चर जिनकी पृथक संख्या 001 से 40,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 10,00,000 (रुपये दस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(929)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9467.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-

section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Prakausali Investments (India) Private Limited, C-41, Mayfair Gardens, New Delhi-110016, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 10,00,000 (Rs. Ten Lac) only on the aggregate value of debentures Rs. 40,00,00,000 for issue of Secured unrated unlisted non Convertible redeemable debentures bearing distinctive Nos. 001 to 40,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (986)/मु. स. (मुख्या)/स. शू./08/9468,—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री जीपी एग्री प्रा. लि., 311, अपोलो ट्रेड सेन्टर, 2-बी, राजगढ़ कोठी, गीता भवन, स्कवायर, ए.बी. रोड, इन्दोर, मध्य प्रदेश, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 24,00,00,002 मूल्य के प्रिफरेन्स शेयरो जिनकी पृथक संख्या 1 से 2,18,18,182 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 2,40,001 (रुपये दो लाख चालीस हजार एक) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(986)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9468.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Geepee Agri Private Limited, 311, Apollo Trade Centre, 2-B, Rajgarh Kothi, Geeta Bhawan, Square, A.B. Road, Indore, Madhya Pradesh shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2,40,001 (Rs. Two Lac Forty Thousand One) only on the aggregate value of shares of Rs. 24,00,00,002 for preference Share certificates with distinctive Nos. 1 to 2,18,18,182 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (930)/मु. स. (मुख्या)/स. शु./08/9469. –गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधि नियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री बंसल क्रेडिटस लि. 1, अंसारी रोड, दूसरी मंजिल, दरियागंज, नई दिल्ली–110002 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,39,52,000 मूल्य के सेक्योर्ड, रिडिमेबल नन कनवर्टीबल डिबेन्चर (सीरीज एम एण्ड एन) जिनकी पृथक संख्या 0114174 से 0128125 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 13952 (रुपये तेरह हजार नौ सौ बावन) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10 (930)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9469.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Bansal Credits Limited, 1, Ansari Road, 2nd Floor, Daryaganj, New Delhi-110 002, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 13952 (Rs. Thirteen Thousand Nine Hundred Fifty Two) only on the aggregate value of debentures of Rs. 1,39,52,000 for issue of Secured redeemable Non Convertible debentures Series 'M' & 'N' bearing distinctive Nos. 0114174 to 0128125 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (957)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/9470.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री आईएफसीआई लि., आईएफसीआई टावर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110 019 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 28,00,000 मूल्य के बोण्ड्स जो कि प्रोमिजरी नोट के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 2010001839 से 2010001866 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 2800 (रुपये दो हजार आठ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(957)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9470.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. IFCI Limited, IFCI Tower, 61, Nehru Place, New Delhi-110 019, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2800 (Rs. Two Thousand Eight Hundred) only on the aggregate value of Rs. 28,00,000 for bonds in the nature of promissory note with distinctive Nos. 2010001839 to 2010001866 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (972)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु/08/9471.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एसपीई फिल्म्स इंडिया प्रा. लि., 1215, नौरंग हाउस, 21, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110 001 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 22,87,32,290 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 37541453 से 60414681 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 2,28,733 (रुपये दो लाख अटठाईस हजार सात सौ तैंतीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(972)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9471.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. SPE Films India Pvt. Ltd., 1215, Naurang House, 21, K.G. Marg, New Delhi-110 001, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2,28,733 (Rs. Two Lac Twenty Eight Thousand Seven Hundred Thirty Three) only on the aggregate value of Rs. 22,87,32,290 for equity Share certicates with distinctive Nos. 37541453 to 60414681 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (971)/मु स. (मुख्या)/स. शु./08/9472. – गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना एस.ओ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एसपीई फिल्म्स इंडिया प्रा. लि., 1215, नौरंग हाउस, 21, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110 001 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,47,66,637 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 22774816 से 37541452 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 1,47,667 (रुपये एक लाख सैंतालीस हजार छ: सौ सडसठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(971)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9472.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. SPE Films India Pvt. Ltd., 1215, Naurang House, 21, K.G. Marg, New Delhi-110 001, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,47,667 (Rs. One Lac Foruty Seven Thousand Six Hundred Sixty Seven) only on the aggregate value of Rs. 1,47,66,637 for equity Share certificates with distinctive Nos. 22774816 to 37541452 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (964)/मु स. (मुख्या)/स. शु./08/9473.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना एस.ओ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री डेनिस मिडिया ट्रांसएशिया पिल्लिशंग प्रा. लि, के-35, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-110 016, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 2,90,57,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 20,00,01 से 31,05,700 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए

29,057 (रुपये उनतीस हजार सत्तावन) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

No. F. 10 (964)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9473.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Dennis Media Transasia Publishing Private Limited, K-35, Green Park, New Delhi-110 016 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 29,057 (Rs. Twenty Nine Thousand Fifty Seven) only on the aggregate value of shares of Rs. 2,90,57,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 200001 to 3105700 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (982)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/9474.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तायों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री अलीसन ट्रांसमिशन इंडिया प्रा. लि., 202-206, टाल्सटाय हाउस, 15 टाल्सटाय मार्ग, नई दिल्ली-110 001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 7,05,15,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 3,18,52,226 से 3,89,03,725 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 70,515 (रुपये सत्तर हजार पांच सौ पन्द्रह) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10 (982)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9474.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Allison Transmission India Private Limited, 202–206, Tolstoy House, 15, Tolstoy Marg, New Delhi-110 001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 70,515 (Rs. Seventy Thousand Five Hundred Fifteen) only on the aggregate value of shares of Rs. 7,05,15,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 3,18,52,226 to 3,89,03,725 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (969)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/9475.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एलाइड परफयूमर्स प्रा. लि., ई-3, पहली मंजिल, मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-II, दिल्ली-110 034, द्वारा

जारी किए जाने वाले रुपये 16,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 82,22,005 से 1,14,22,004 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 1,60,000 (रुपये एक लाख साठ हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10 (969)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9475.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Allied Perfumers Private Limited, E-3, 1st Floor, Mangolpuri Industrial Area, Phase-II, Delhi-34 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,60,000 (Rs. One Lac Sixty Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 16,00,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 82,22,005 to 1,14,22,004 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (945)/मु स. (मुख्या.)/स. शु./08/9476.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पी टी सी इंडिया लि. दूसरी मंजिल, एन बी सी सी टावर, 15, भीकाजीकामा प्लेस, नई दिल्ली-110 066, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 77,15,431 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 29,40,84,601 से 29,45,47,401 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 7716 (रुपये सात हजार सात सौ सोलह) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10 (945)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9476.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. PTC India Limited, 2nd Floor, NBCC Tower, 15, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110 066 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 7716 (Rs. Seven Thousand Seven Hundred Sixteen) only on the aggregate value of shares of Rs. 77,15,431 for equity Shares certificate with distinctive Nos. 29,40,84,601 to 29,45,47,401, to be issued by the said company.

सं फा. 10 (978)/मु स. (मुख्या.)/स. शु./08/9477.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनयम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री वेगा होस्मिटलीटी प्रा. लि., 296, कापसहेडा

गांव, चौपाल वाली गली, नई दिल्ली-110037, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,54,02,730 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 33,162 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 15,403 (रुपये पन्द्रह हजार चार सौ तीन) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(978)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9477.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Vega Hospitality Private Limited, 296, Kapashera Village, Choupal Wali Gali, New Delhi-110037 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 15,403 (Rs. Fifteen Thousand Four Hundred Three) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,54,02,730 for equity share certificates with distinctive No. 10,001 to 33,162 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (942)/मु. स. (मुख्या)/स. शु./08/9478.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री टेफकोन एक्सपोमिडिया इंडिया प्रा. लि., बी-509, दूसरी मंजिल, न्यू फ्रेंड्स कालोनी, नई दिल्ली-110065, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 37,63,170 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 3,84,130 से 7,60,446 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 3764 (रुपये तीन हजार सात सौ चौसठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(942)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9478.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Tafcon Expomedia India Private Limited, B-509, 2nd Floor, New Friends Colony, New Delhi-110065 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 3,764 (Rs. Three Thousand Seven Hundred Sixty Four) only on the aggregate value of shares of Rs. 37,63,170 for equity shares certificate with distinctive No. 3,84,130 to 7,60,446 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (950)/मु स. (मुख्या)/स. शु/08/9480,-गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के

खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इन्टरनेशनल ऑनकोलोजी सर्विसज प्रा.लि., 206, चौधरी कम्पलेक्स, 9, बीर सावरकर ब्लाक, शकरपुर, दिल्ली-110092, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 8,91,87,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 54,16,312 से 78,68,011 है पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 89,187 (रुपये नवासी हजार एक सौ सतासी) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(950)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9480.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. International Oncology Services Private Limited, 206, Chaudhary Complex, 9, Veer Sawarkar Block, Shakarpur, Delhi-110092 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 89,187 (Rs. Eighty Nine Thousand One Hundred Eighty Seven) only on the aggregate value of shares of Rs. 8,91,87,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 54,16,312 to 78,68,011 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (966)/मु, स. (मुख्या)/स. शु./08/9481.

-गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ)
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1)
के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय
राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी
निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सीमलेस स्टाफिंग सोलुशनस प्रा. लि.,
डी-61, गुल मोहर पार्क, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले
रुपये 5,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या
10,001 से 60,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 500
(रुपये पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त
कम्पनी करेगी।

No. F. 10(966)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9481.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Seamless Staffing Solutions Private Limited, D-61, Gul Mohar Park, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 500 (Rs. Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 5,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 10,001 to 60,000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 7 जनवरी, 2010

सं. फा. 10 (941)/मु, स. (मुख्या)/स. शु./08/9486.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री अर्बन मास ट्रांससिट कम्पनी लि., कोर 4बी, चौथी मंजिल, इंडिया हेबीटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 60,00,700 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 60008 से 120014 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 6001 (रुपये छ: हजार एक) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 7th January, 2010

No. F. 10(941)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9486.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Urban Mass Transit Company Limited, Core 4B, 4th Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 6001 (Rs. Six Thousand One) only on the aggregate value of shares of Rs. 60,00,700 for equity shares certificate with distinctive Nos. 60008 to 120014 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (983)/मु स (मुख्या)/स. शु/08/9489.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनयम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा(1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री टेरेक्स इंडिया प्रा. लि., सूट नं. 1709–1712, 17वीं मंजिल, नारायण मंजिल, 23 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 12,73,200 मूल्य के इिक्वटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 4,56,82,145 से 4,58,09,464 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 1,274 (रुपये एक हजार दो सौ चौहत्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(983)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9489.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Terex India Private Limited, Suite No. 1709–1712, 17th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,274 (Rs. One Thousand Two Hundred Seventy Four) only on the aggregate value of shares of Rs. 12,73,200 for equity share certificates with distinctive Nos. 4,56,82,145 to 4,58,09,464 to be issued by the said company.

59 DG/10-3

सं फा. 10 (979)/मु स (मुख्या)/स. शु./08/9490. – गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ग्लोबकास्ट इंडिया प्रा. लि., 1103–1104, चिरनजीव टावर, 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 65,00,000 मूल्य के इंक्विटी शेयर जिनकी पृथक संख्या 3,50,001, से 6,75,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 6500 (रुपये छ: हजार पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(979)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9490.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Globecast India Private Limited, 1103–1104, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 6500 (Rs. Six Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 65,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 3,50,001 to 6,75,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (936)/मु. स. (मुख्या)/स. शु./08/9491.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री वेल इंडिया प्रा. लि., ब्लाक बी-1, प्लाट नं. एफ-2, मोहन कोपरेटिव इंडिस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली -110044, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,70,22,050 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,58,77,541 से 1,75,79,745 है पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 17,023 (रुपये सत्तरह हजार तेइस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(936)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9491.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Vale India Private Limited, Block B-1, Plot No. F-2, Mohan Cooperative Indiustrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 17,023 (Rs. Seventeen Thousand Twenty Three) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,70,22,050 for equity shares certificate with distinctive Nos. 1,58,77,541 to 1,75,79,745 to be issued by the said company.